राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1723/2011/भरतपुर

मैसर्स श्री लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, भरतपुर

....अपीलार्थी

बनाम

उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

......अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के. बैद उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 12/02/2018

निर्णय

ा. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी (जिसे आगे "अपीलार्थी" कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय प्राधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 230 / उपा—अपील्स / 2010—2011 में पारित आदेश दिनांक 21.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भरतपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपित राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 26 व 55 एवं 61(1) के अन्तर्गत पारित आदेश में सृजित की गई मांग राशि रू. 15,86,506 / — में से असत्यापित "सी" फॉर्म्स से सम्बन्धित बिक्री पर देय कर, ब्याज तथा धारा 61 की शास्ति की पुष्टि करते हुए ट्रक भाड़ा, एडवांस आदि पर कर व ब्याज के सम्बन्ध में प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय आदेश में विवादित राशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

कर नि. वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	कुल विवादित राशि
2006-07	2,91,102	1,30,996	11,64,408	15,86,506



- प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा सरसों तेल एवं खल का विनिर्माण एवं विक्रय सम्बन्धी व्यवसाय किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2006-07 में घोषित अन्तर्राज्यीय बिक्री के समर्थन में प्रस्तुत किये गैंये घोषणा प्रपत्र 'सी' की वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ब भरतपुर द्वारा बिहार राज्य से करवाई गई प्रति-सत्यापन जांच में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र 'सी' क्रेता व्यवहारियों को विभाग द्वारा जारी होना नहीं पाया गया अर्थात् व्यवसायी द्वारा घोषणा पत्र "सी" मिथ्या एवं कूटरचित प्रस्तुत किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री घोषणा पत्र 'सी' से असमर्थित मानते हुए अन्तर कर रूपये 248736 + 69554 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9 सपिठत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति रूपये 11,64,408/- व ब्याज रूपये 1,30,996/- आरोपित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने कर एवं शास्ति आरोपण की पुष्टि करते हुए ब्याज की पुनर्गणना हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।
- 4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा समस्त अन्तर्राज्यीय बिक्री विधिवत रूप से सही की गई थी तथा क्रेता व्यवहारियों द्वारा जो 'सी' फॉर्म्स पेश किये गये थे उन्हें सद्विश्वास से सही मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। साथ ही सभी व्यवहार नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं तथा बिक्री राशि का भुगतान भी बैंकों के जिरये ही प्राप्त होना बताया। आगे उनका यह भी कथन है कि चूंकि अपीलार्थी के द्वारा समस्त संव्यवहार विधिमान्य तरीके से किये गये हैं तथा इनके समर्थन में घोषणा पत्र 'सी' जो कि क्रेता व्यवहारियों द्वारा उसे दिये गये थें, वै कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे अतः इनके सम्बन्ध में अन्तर कर, ब्याज तथा शास्ति का आरोपण अविधिक होने से अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इनके आरोपण की जो पुष्टि की गई है उस आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।
- 5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाथी द्वारा जो घोषणा पत्र पेश किये गये हैं वे बिहार राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग के सम्बन्धित कार्यालय से जारी नही होने पाये गये तथा जो Genuine नहीं है, अतः जाली 'सी' फॉर्म्स के सम्बन्ध में जो अन्तर कर, ब्याज



व शास्ति आरोपित की गई है वह पूर्णतः उचित है एवं इसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः उन्होनें अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

- 6. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।
- 7. उल्लेखनीय है कि राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा Tata Shree Bhagawati Oil Industries, Bharatpur & Ors Vs. CTO, AE, Bharatpur & Ors अपील संख्या 720/2011 एवं अन्य अपीलों में समदृश्य तथ्यों पर दिया गया निर्णय दिनांक 25.06.2015 प्रस्तुत प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू होता है। उक्त निर्णय के सम्बन्धित निर्णयांश निम्नानुसार पुनरुल्लिखित हैं :-

"(131) The Assessing Authority should have levied CST for year 2006-07 in respect of the impugned evaded inter-State turnover in terms of clause (b) of sub section (2) of section 8 of the CST Act, 1956 existing as on March 31, 2007 at that stage. Herein, the impugned C-forms were found to have not been issued by the competent authority of the relevant circles in consonance with sub-section (4) of section 8 of the CST Act, 1956 read with sub-rule (1) of rule 9 of the CST (Bihar) Rules, 1957, nor were they furnished in accordance with sub rule (3) of rule 17 of the CST (Rajasthan) Rules, 1957 and for sub rule (3) of rule 9 of the CST (Bihar) Rules, 1957, which caused the respondent Assessing Authority declare them fake considering them as of invalid origin; and, therefore the aforesaid inter-state sales being divested of genuine C-forms (emphasis) would be subject to tax in accordance with the scheme of tax as laid down in the sub section (2) of the section 8 of the CST Act, 1953 (sic 1956) which addressed to the sales without C-forms....."

"(162) At the backdrop of the analysis of the facts and law in the foregoing paragraphs, the Bench holds the view that since the main issue in the cases at hand was related to the genuineness of the C-forms in question furnished by the appellants before the Assessing Authority, the version of the appellants of being handed out C-forms called in question by the brokers on behalf of the purchasing dealers coupled with the assertion that the appellants unsuspectingly accepted the impugned invalid C-forms as genuine ones could not be countered by the respondents as an act of tendering invalid C-forms maliciously before the Assessing Authority or that it was done with an ulterior motive of suppressed tax mala fide.

al____

(163) In view of the above analysis, it is held that the penalty imposed in the present cases over the tax amount is not justifiable but so far as interest is concerned it is admitted case that the due tax was not paid in time and, remained to be paid therefore, the appellants are liable to pay interest in accordance with scheme of section 55 of the Act."

- 11. चूंकि प्रस्तुत अपील में भी प्रकरण के तथ्य सन्दर्भित निर्णय के तथ्यों के समान ही हैं, अतः यह निर्णीत किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत 'सी' फॉर्म्स जो कि Genuine नहीं पाये गये थे, के सम्बन्ध में आरोपित अन्तर कर तथा ब्याज पुष्टि योग्य होने से इस सम्बंध में अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा आरोपित शास्ति अपास्त किये जाने योग्य होने से शास्ति की सीमा तक अवर अधिकारियों के आदेश अपास्त किये जाते हैं तथा आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाता है।
- 12. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।
- 13. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया) सदस्य (नत्थूरीम) सदस्य

लगातार.....